न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, हरदोई।

विशेष परिवाद संख्या– 62/2017

श्रीमती कमला बनाम नत्थू आदि

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षीगण की तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. में उल्लेख किया है कि वह हरिजन जाति की धानुक बिरादरी की महिला है। विपक्षीगण पिछड़ी जाति के किसान बिरादरी के व्यक्ति हैं। उसके व विपक्षीगण के मध्य जमीनी विवाद चल रहा है। इसी रंजिश के कारण दिनांक 21.05.16 को समय करीब 8.00 बजे सुबह विपक्षीगण ने उसके छप्पर में आग लगा दी जिसका शिकायती प्रार्थनापत्र उसने थाने में दिया था। इस कारण रंजिश मानकर दिनांक 22.05.16 को समय करीब 7.00 बजे सुबह विपक्षीगण लाठी डन्डा लेकर उसके घर में घुस आये और गन्दी–गन्दी व जाति सूचक गालियां देते हुए मारने पीटने लगे। विपक्षी सीताराम ने उसे पकड़ लिया, रामलखन व जागेश्वर ने उसका ब्लाउज फाड़ दिया तथा साड़ी खोल दी। चीख पुकार सुनकर उसकी ननद धनदेवी, बहू सोनी, पान देवी बचाने आयी तो उन्हें भी विपक्षीगण ने गालियां दी व मारा पीटा। शोर पर गांव के तमाम लोग आ गये, जिन्होने विपक्षीगण को ललकारा। तब विपक्षीगण गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। उसने थाने पर सूचना दी, रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और न ही चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। तब उसने अपना व चोटहिल सोनी व पान देवी का चिकित्सीय परीक्षण जिला चिकित्सालय हरदोई में कराया। उसने क्षेत्राधिकारी हरपालपुर व पुलिस अधीक्षक हरदोई को प्रार्थनापत्र दिये, किन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी।

प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया तथा परिवादिनी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. एवं परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत गवाहान सोनी एवं पान देवी का बयान अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. अंकित किया

गया।

परिवादिनी ने अपने बयान अंतर्गत धारा–200 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि करीब 14 महीने पहले सुबह 8 बजे का समय था, उसकी झोपड़ी में नत्थू, जागेश्वर, सीताराम, रामलखन, भूरा, कल्लू दीपक ने आग लगा दी। उसकी धोती खोल दी, उसका ब्लाउज फट गया तथा उसकी पकड़कर बेइज्जती की। धनकुनिया कहकर गंदी–गंदी गालियां दी। उसे सभी ने लाठी डंडों से मारा पीटा था। उसे पान देवी व सोनी ने बचाया था।

परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी.डब्लू.–1 सोनी एवं पी.डब्लू.–2 पान देवी, जो कि चुटहिल हैं, के द्वारा अपने–अपने बयान अंतर्गत धारा–202 दं.प्र.सं. में कथन किया गया है कि घटना के दिनांक व समय पर कमला व नत्थू के मध्य पुरानी जमीनी रंजिश का विवाद चल रहा था, समय 7 बजे सुबह विपक्षीगण नत्थू, कल्लू, भूरा, जागेश्वर, सीताराम, रामलखन आदि घर के अंदर घुस आये तथा जाति सूचक गालियां देकर कहने लगे कि साली धनकुनिया तेरे दिमाग ठीक कर देंगे तथा लाठी डंडा लिए कमला देवी को मारने लगे। वे बचाने आये तो इन लोगों ने लात घूसों व डंडों से मारापीटा। विपक्षी रामलखन व जागेश्वर ने कमला देवी को बुरी नीयत से पकड़कर ब्लाउज फाड़ दिया तथा साड़ी खींच ली, जिससे वह अर्द्धनग्न अवस्था में हो गयी।

परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में किये गये कथनों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि परिवादिनी के द्वारा स्पष्ट रूप से विपक्षीगण पर आरोप लगाया गया है कि विपक्षीगण ने उसे जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज कर अपमानित करते हुए उसकी लज्जा भंग की तथा उसे लात घूसों से मारापीटा। परिवादिनी के कथनों का समर्थन परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी.डब्लू.–1 व पी.डब्लू.–2 ने अपने–अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. में किया है। परिवादिनी द्वारा उसके साथ हुए अपराध के सम्बंध में संबंधित थाने जाकर सूचना दी गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तत्पश्चात परिवादिनी द्वारा क्षेत्राधिकारी व पुलिस अधीक्षक, हरदोई को उसके सम्बंध में प्रार्थनापत्र दिया गया, इसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब परिवादिनी ने यह परिवादपत्र प्रस्तुत किया है। परिवादिनी के कथनों का खण्डन करने हेतु इस समय पत्रावली पर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस स्तर पर परिवादिनी के कथनों को असत्य मानने का कोई आधार नहीं है। परिवादिनी व परिवादिनी के गवाहों के

बयानों के मूल्यांकन से प्रथम दृष्टया इस स्तर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा– 147, 323, 354 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)आर अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का मामला बनता प्रतीत होता है, जिसके लिए अभियुक्तगण विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण नत्थू, कल्लू, भूरा, जागेश्वर, सीताराम एवं रामलखन को धारा 147, 323, 354 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)आर अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी पैरवी तीन दिन के अंदर करते हुए गवाहों की लिस्ट दाखिल करे, साथ ही अभियुक्तगण के समन के साथ परिवादपत्र की प्रतियां भी दाखिल करे। अभियुक्त के विरूद्ध समन कार्यालय लिपिक जारी करना सुनिश्चित करे।

प्रस्तुत विशेष परिवाद, विशेष परीक्षण के रूप में दर्ज हो।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 27.03.2019 को पेश हो।

तद्नुसार प्रस्तुत विशेष परिवाद निस्तारित किया जाता है।

(जय प्रकाश पाण्डेय)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट हरदोई।
28.02.2019